स्थिति में उत्तरकारी अभी भी जमींन खरीदनें के इच्छुक है तो उचित मूल्य लेते हुए उन्हें (उत्तरकारी सं0 02) प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि उत्तरकारी सं0 02 के संबंध में अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए उनके दावों पर विचार किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

2752/2016 6/6/16
NOTO

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 09/2011–12

द्विजेन्द्र लाल पाल ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

सुमित्रा देवी एवं अन्य ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

22/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 09/2011–12 द्विजेन्द्र लाल पाल बनाम् सुमित्रा देवी एवं अन्य मौजा तेलियाचक बाजार, अंचल काठीकुंड के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के डी0एम0 वाद सं0– 01/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंन उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के खाता सं0 39 के अन्तर्गत दाग सं0 185 रकवा 06 कठ्ठा जमींन पर विनय पाल एवं द्विजेन्द्र लाल पाल के नाम से हाल सर्वे में पर्चा निर्गत है। यह जमींन उन्हें डी0एम0 वाद सं0 04/1957–58 के तहत् नवनी वाला दासी पति गोष्ट पाल से प्राप्त है। उक्त जमींन में से अपीलकर्त्ता 03 डीसमल जमींन उत्तरकारी सुमित्रा देवी को विक्रय करने की स्वीकृति हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल की गई। इस पर अंचल अधिकारी, काठीकुंड से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई एवं उनके द्वारा विक्रय हेतु अनुषंसा भी किया गया है। किन्तु उत्तरकारी सं0 02 के आपत्ति के कारण निम्न न्यायालय द्वारा आवेदन को अस्वीकृत किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने बहस के दौरान यह भी कहा है कि पहले उन्होंने उत्तरकारी सं0 02 को जमींन बेचना चाहा, किन्तु उनके द्वारा जमींन क्रय करने से इन्कार किया गया अब वह उक्त जमींन को जबरन लेना चाह रहें है। अतः निम्न न्यायालय के आदेष को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी सं0 02 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि जमींन बिल्कूल उनके घर से सटा हुआ है। अतः उन्हें खरीदने का अधिकार है किन्तु उन्होंने दूसरे को बेच दिया। अतः अपील आवेदन को निरस्त किया जाय।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमींन विक्रय में सर्वप्रथम अगल–बगल के क्रयकर्त्ता को ही प्राथमिकता दिया जाना चाहिए किन्तु उत्तरकारी सं0 02 द्वारा क्रय करने से इन्कार करने के पश्चात ही उन्होंने उत्तरकारी सं0 01 के साथ विक्रय करने का निर्णय लिया गया। अंचल अधिकारी द्वारा भी अपने प्रवितेदन में उत्तरकारी सं0 01 के साथ विक्रय करने की अनुशंसा की गई है। किन्तु उत्तरकारी के दावों के अनुसार उनका घर उक्त जमींन से सटा हुआ है। ऐसी